न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद (प्रार्थनापत्र) संख्या– 30/2021
प्रविष्टि दिनांक – 03.03.2021

उनवान

1. मुकेश शर्मा पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी 59, शिक्षा सागर ई–ब्लॉक गोविन्दपुरा सांगानेर जिला जयपुर
2. मनभर बेवा स्व0 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी 59, शिक्षा सागर ई–ब्लॉक गोविन्दपुरा सांगानेर जिला जयपुर

–आवेदकगण/वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

विपक्षी

उपस्थित–श्री मेघराज मीणा–वकील वादीगण
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी

निर्णय

प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक : 30/11/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादीगण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि खसर नंबर 316/1 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 317/1 रकबा 3 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 18 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। वादीगण को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिकार्ड कन्हैयालाल दर्ज है। कन्हैयालाल को कानाराम के नाम से जाना जाता है व इसी नाम से गांव मे उन्हे पुकारा जाता है। वादीगण के पिता व पति का देहान्त हो गया है। उनके द्वारा छोडी गई आराजी जिसमे वादीगण के पिता व पति स्व0 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम के वारिसान वादीगण एवं विष्णू के अतिरिक्त कोई नही है। वादीगण के पिता व पति की विरासत का नामान्तरकरण प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 मे किया गया थां सहवन से उस समय वादी सं0 1 मुकेश का नाम मुकेश के स्थान पर महेश हो गया तथा मनभर का नाम मन्नी अंकित हो गया जो गलत है और लिपिकीय भूल मे आता है। अतः उक्त भूमि मे वादीगण के पिता व पति की विरासत के खोले गये नामान्तरकरण दिनांक 20.10.2001 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे सहवन से वादी सं0 1 मुकेश के स्थान पर महेश व मनभर का मन्नी हो गया जिसे दुरूस्त कर महेश के स्थान पर मुकेश व मन्नी के स्थान पर मनभर अंकित किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2072–75, नामान्तरकरण, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमे अंकितानुसार उक्त भूमि खसरा नंबर 316/1 व 317/1 राजस्व रिकार्ड अनुसार महेश विष्णु पि. कन्हैयालाल मन्नी बेवा कन्हैयालाल जाति ब्राहमण दर्ज है। वादीगण के नाम उक्त भूमि विरासत से आई है। वादीगण सांगानेर मे निवास करते है अतः रिपोर्ट सांगनेर से मंगाया जाना उचित है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि मे नामान्तरकरण, जमाबंदी, प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण मे पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण पर मृतक कन्हैयालाल का शजरा अंकित है जिसमे उसके वारिसान के नाम महेश विष्णु व मन्नी अंकित है। उक्त नामान्तरकरण दिनांक 20.10.2001 को स्वीकृत किया गया है जिसे लगभग 24 वर्ष हो गये है। यदि त्रुटि विरासत के नामान्तरकरण के समय हुई थी तो वादीगण द्वारा तत्समय ही नामान्तरकरण की अपील क्यो नही की गई। अब इतने समय पश्चात जमाबंदी कई रोटेशन से गुजर चुकी है। प्रार्थनापत्र इतनी देरी से प्रस्तुत करने का वादीगण द्वार कोई ठोस कारण से भी अवगत नही कराया है। इसके अतिरिक्त प्ररकण मे विष्णु को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि विवादित भूमि मे विष्णु भी सहखातेदार है और विवादित भूमि के टाईटल मे परिवर्तन मे सहखातेदार की सहमति अथवा अनापत्ति आवश्यक है। नामान्तरकरण के अनुसार ही जमाबंदी मे इन्द्राज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर श्रृंखलाबद्ध जमाबंदी प्रस्तुत नही की गई जिससे स्पष्ट हो सके कि कानाराम के स्थान पर कन्हैयालाल कब व किस प्रकार अंकित किया गया क्योकि मृत्यु प्रमाण पत्र मे कानाराम अंकित है और यदि प्रारम्भ से ही कन्हैयालाल अंकित था तो कानाराम अथवा कन्हैयालाल के जीवित रहते ही त्रुटि को दुरूस्त क्यो नही करवाया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्यो के विपरीत पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थीगण सांगानेर निवास करते है इसलिए प्रार्थीगण के सही व वास्तविक नामो के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नही हो पाई है। उक्त विवेचन से तो स्पष्ट है कि प्रार्थीगण, प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को भली भांति साबित नही कर पाये है और ना ही तथ्यों के संबंध मे ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है जिस कारण साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, खसर नंबर 316/1 रकबा 15 बीघा, खसरा नंबर 317/1 रकबा 3 बीघा कुल किता–2 कुल रकबा 18 बीघा वाके ग्राम हिंगोटिया तहसील निवाई जिला टोंक विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 30/1/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई